मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-16

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 (श्रावण 5, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री सुखीराम, उमाशंकर पाठक, मोहम्मद याकूब रजवानी तथा चंदनमल बनवट, भूतपूर्व सदस्यगण विधान सभा एवं वाहन दुर्घटना में मृत कविजन सर्वश्री ओमप्रकाश आदित्य, नीरज पुरी एवं लाडसिंह गुर्जर के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, पारस सकलेचा तथा हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्यगण ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 10.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.48 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी के ग्राम परागढ़ एवं जुमाई भोजपुर के लोगों को पुलिस द्वारा पीटने,
(2) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील में आपराधिक घटना घटित होने,
(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रेक्टिकल से वंचित छात्रों को मौका न देने,
(4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के घपोरा बीट में अतिक्रमण होने,
(5) श्रीमती सुलोचना रावत, सदस्य ने जोबट के भावरा स्वास्थ्य केन्द्र भवन की हालत जर्जर होने,
(6) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य ने वारासिवनी में ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने,
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने छात्रों की दुर्घटना मृत्यु की बीमा राशि वितरण में विलम्ब होने तथा
(8) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम में महू रोड की काम्पलेक्स की दुकानों को नियम विरूद्ध आवंटित करने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 पटल पर रखे।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्लपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 8 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षण की आठों सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सुखदेव पांसे, सदस्यगण ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नंदन फलोद्यान उप योजना में पौधों तथा अन्य सामग्री के क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य ने सीधी जिले के गुलाब सागर बांध परियोजना निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को फर्जी चेक प्रदाय किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री श्रम ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा भूखंड आवंटन में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, देवेन्द्र वर्मा, कुं. विजय शाह, सदस्यगण ने खण्डवा जिले के ग्राम कुटवी में आदिवासी संत की हत्या के आरोपियों को गिरफतार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने खरगोन जिले के ग्राम जलकोठी में रेत खदान धसकने से श्रमिकों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(1.01 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(6) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री राधेलाल बघेल, सदस्यगण ने श्योपुर जिले के विजयपुर थाना कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री पारस सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्यगण ने प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रवेश में अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र में गरीबी रेखा की सूची में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य ने सतना जिले के -
- (क) मैहर विकास खण्ड के ग्राम पटिया के बमुरहाहार में 65 के.व्ही.ए. का नवीन ट्रांसफार्मर लगाने,
- (ख) मैहर तहसील की शासकीय कन्या हाई स्कूल में अतिरिक्त भवन निर्माण कराये जाने तथा
- (ग) मैहर तहसील के लहागांव में 100 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(2) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के -
- (क) तहसील गाडरवारा के शा.हाईस्कूल आमगांव छोटा को हायर सेकेण्ड्री शाला में उन्नयन करने तथा
- (ख) चीचली विकास खण्ड के ग्राम रायपुर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के -
- (क) नागदा तहसील के ग्राम वेरछा की हाई स्कूल को हाई सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) खाचरौद तहसील के ग्राम भीखमपुर की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने तथा
- (ग) ग्राम बड़े गांव की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल जिले के -
- (क) वल्लभ नगर के क्रमांक-1 व 2 को एन.आर.यू.एम. के अंतर्गत बी.डी.ए. से मकान बनाकर प्रदान किये जाने तथा
- (ख) जवाहर चौक के सुनहरी बाग स्थित रोड का डामरीकरण एवं नाली बनाये जाने,

(5) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य ने पन्ना जिले के -
- (क) जनपद पंचायत अजयगढ़ के ग्राम खोरा में महाविद्यालय खोले जाने तथा
- (ख) ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा में हाई सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(6) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर जिले के -
- (क) शहर के वार्ड नं. 35 में सराफा नाद व न्यू आनंद नगर में नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
- (ख) शहर के अब्दुल हमीद चौक (रद्दी चौकी) में पुलिया तक नाला निर्माण किये जाने तथा
- (ग) सुभाषचंद बोस वार्ड में नाला निर्माण किये जाने,

(7) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य ने श्योपुर जिले के -
- (क) ग्राम जावडेश्वर में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,
- (ख) पुराने जिला अस्पताल के परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा
- (ग) विकासखण्ड श्योपुर के चन्द्रपुरा में तालाब गहरीकरण किये जाने,

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के -

(क) सुरखी विकासखण्ड के ग्राम गेहूंरास तिगड्डे पर पुलिस चौकी खोले जाने तथा

(ख) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम नरियावली से समोस मार्ग निर्माण कराये जाने,

(9) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य ने छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बमोरी में जंगली जानवर (नीलगाय) को वन विहार के सुपुर्द किये जाने,

(10) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य ने रायसेन जिले के सांची विकासखण्ड के ग्राम सेमरा से भोपाल-विदिशा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने तथा

(11) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल शहर की होशंगाबाद रोड़ वार्ड क्रमांक 45 स्थित स्लाटर हाउस को स्थानांतरित किये जाने या आधुनिकीकरण कर प्रदूषण मुक्त बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 17 सन् 2009) का सदन की अनुमति से पुरःस्थापन किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री लक्ष्मण तिवारी
(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(4) श्री परसराम मुद्गल
(5) डॉ. निशिथ पटेल

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) श्री मोतीलाल तिवारी
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 18 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 14 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सुनील जायसवाल
(2) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री राजकुमार उरमलिया
(5) श्री रामलखन सिंह

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 15 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

(5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

(सदन की सहमति से, कार्यसूची के पद 6 तक के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(6) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(7) श्री कमलेश जाटव

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 (श्रावण 6, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.